

### ई-निविदा सूचना

जिलाधिकारी महोदय के टिप्पणी आदेश दिनांक 03.06.2019 के क्रम में सूखा/बाढ़ राहत योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय पशुओं एवं पशु आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवश की उदर पूर्ति हेतु उच्च/उत्तम कोटि का गेहूँ का मूसा आवश्यकतानुसार लगभग 30,000 कुठ के कच हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निर्धारित निविदा की शर्तें जिला बाँदा की वेबसाइट [banda.nic.in](http://banda.nic.in) पर उपलब्ध होगी। सम्बन्धित गेहूँ के मूसे को वर्ष 2019-20 में कच हेतु ई-निविदा उ०प्र० सरकार की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से 06.06.2019 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से 22.06.2019 के अपरान्ह 03:30 बजे तक ई-टेंडर द्वारा सम्मिलित की जायेगी। दिनांक 24.06.2019 को अपरान्ह 02:00 बजे ई-निविदा की टेक्निकल बिड अध्येस्ताक्षरी (कार्यालय अपर जिलाधिकारी (वि/रा०)/अध्यक्षता में गठित कच समिति बांदा) के समक्ष खोली जायेगी। टेक्निकल बिड वैध पाये जाने पर ही वित्तीय बिड पर विचार किया जायेगा। यह भी सूचित किया जाता है ऐसे निविदादाता जो ई-टेंडर के लिए पंजीकृत होंगे तथा उनके डिजिटल सिग्नेचर उपलब्ध होंगे व निविदादाता फर्म ही ई-टेंडर प्रणाली में टेंडर डाल सकेंगे। दिनांक 22.06.2019 अपरान्ह 03:30 बजे तक तकनीकी निविदा प्रपत्र की हार्ड कॉपी (मूल प्रपत्र) कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, कमरा नं०-222 विकास भवन, बांदा में जमा करना अनिवार्य है। अन्यथा कि स्थिति में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

क्र० सं०	आपूर्ति की जाने वाली सामग्री	अर्नेस्ट मनी	निविदा प्रपत्र मूल्य	ई-निविदा अवधि	तकनीकी बिड खुलने का दिनांक
1	गेहूँ का मूसा	-10,000.00	200.00 + जी०एस०टी०	जून, 2019 से 31 मार्च 2020 तक	24.06.2019

### ई-निविदा की नियम तिथि एवं समय:-

1	आनलाइन निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि एवं समय	06.06.2019 पूर्वान्ह 10:00 बजे से
2	आनलाइन निविदा प्रपत्र जमा करने की प्रारम्भ तिथि एवं समय	06.06.2019 पूर्वान्ह 11:00 बजे से
3	तकनीकी (टेक्निकल) निविदा प्रपत्र की हार्ड जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय	22.06.2019 अपरान्ह 3:00 बजे तक
4	आनलाइन निविदा प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय	22.06.2019 अपरान्ह 03:30 बजे तक
5	आनलाइन तकनीकी (टेक्निकल) निविदा खोलने की तिथि एवं समय	24.06.2019 अपरान्ह 02:00 बजे

(डा० आइ० एन० सिंह)

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी /  
सदस्य सचिव कच समिति  
बांदा

(संतोष बहादुर सिंह)

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/  
अध्यक्ष कच समिति  
बांदा

### कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बांदा

पत्रांक 333 / पी०-5/लेखा०/भूसा पत्रा०/2019-20

दिनांक- 3-6-19

तिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला सूचना अधिकारी बांदा को समाचार पत्रों में निःशुल्क विज्ञापन हेतु।
2. मुख्य विकास अधिकारी, बांदा।
3. जिला कृषि अधिकारी, बांदा।
4. उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चि०/स्वा० मुख्यालय बांदा।
5. मुख्य कोषाधिकारी, बांदा।
6. जिलाधिकारी महोदय बांदा को अवलोकनार्थ।
7. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/प्रगारी अधिकारी देवीय आपदा बांदा।
8. अपर निदेशक- 1। पशुपालन विभाग चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा।
9. निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी  
बांदा

## कार्यालय- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी बांदा

### ई-निविदा तकनीकी (टेक्निकल) बिड

दैवीय आपदा बाढ़/सूखा राहत योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय पशुओं एवं पशु आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश की उदरपूर्ति हेतु वर्ष 2019-20 (माह जून 2019 से 31 मार्च 2020) की अवधि हेतु गेहूँ का भूसा क्रय के सम्बन्ध में प्रकाशित निविदा सूचना संख्या 333/पी0-5/लेखा0/भूसा पत्रा0 दिनांक 03.06.2019 सम्बन्धी तकनीकी निविदा पत्र का विवरण:-

1	निविदादाता फर्म का नाम:-	
2	निविदादाता/फर्म का पता मोबाइल व ई-मेल नं.:-	
3	जी0एस0टी0 सं0/तिथि वैधता दिनांक (प्रमाण पत्र छायाप्रति संलग्न करें)	
4	आयकर स्थायी संख्या (पैन नं0) प्रमाण पत्र संलग्न करें।	
5	आयकर रिटर्न 2016-17 एवं 2017-18 (प्रमाण पत्र छायाप्रति संलग्न करें)	
6	धरोहर धनराशि (अर्नेस्टमनी) विवरण (एफ0डी0आर0 मूल रूप में संलग्न करें)	
7	निविदा प्रपत्र क्रय फीस का एफ0डी0आर0/ बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में संलग्न करें)	

### घोषणा

मैंने/हमने क्रय प्रस्ताव प्रपत्र (निविदादाताओं के लिए आवश्यक निर्देश) के लिये निर्देश को भलीभाँति पढ़/समझ लिया है तथा उनका अनुपालन करने हेतु बचनबद्ध हूँ/हैं। मैं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी बांदा द्वारा निर्धारित समय सीमा में आदेशित मात्रा की आपूर्ति करने में पूर्णतया समर्थ हूँ/हैं। कार्य निष्पादन में किसी प्रकार का विलम्ब या असफल होने पर मेरी/हमारी सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी। क्रय प्रस्ताव प्रपत्र में दी गयी सूचनायें मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य हैं। क्रय प्रस्ताव प्रपत्र में सम्बन्धित कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। क्रय प्रस्ताव में गठित कमेटी का निर्णय मान्य होगा। क्रय प्रस्ताव की शर्तें स्वीकार हैं। उपरोक्त के विपरीत यदि कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जाये। इसमें मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान:.....

दिनांक :.....

निविदादाता अधिकारी प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

प्रतिष्ठान की मुहर

  
Chief Veterinary Officer  
Animal Husbandry  
Banda



कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी जनपद बांदा हेतु दैवीय आपदा  
बाढ़/सूखा राहत योजना अन्तर्गत क्षेत्रीय पशुओं की उदरपूर्ति हेतु  
गेंहू के भूसे के क्रय हेतु निविदा की शर्तें

1. उक्त निविदा 31 मार्च, 2020 तक मान्य होगी या अगला टेण्डर स्वीकृत होने तक मान्य होगी।
2. निविदा प्रपत्र के साथ गेंहू के भूसे के लिये रू0 10,000.00 (रू0 दस हजार मात्र) अनेरस्ट मनी के रूप में एफ0डी0आर0 मुख्य पशु चिकित्साधिकारी बांदा के पक्ष में सलंग्न किया जाना अनिवार्य है। चेक/नगद धनराशि स्वीकार नहीं की जायेगी। बिना अनेरस्ट मनी के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. खराब भूसा पाये जाने पर बीजक का भुगतान नहीं होगा तथा जमानत की धनराशि रू. 50,000.00 (रू0 पचास हजार ) जब्त कर ली जायेगी।
4. निविदा दाता का जी0एस0टी0 पंजीकरण होना अनिवार्य है, जिसकी स्वप्रमाणित छायाप्रति सलंग्न करना अनिवार्य है।
5. निविदा दाता को विगत दो वर्ष का आयकर विवरण सलंग्न करना होगा।
6. निविदा की दरे एफ0ओ0आर (गोदाम के अन्दर) की होनी चाहिए। केवल जी0एस0टी0 नियमानुसार देय होगा।
7. निविदा दाता को निविदा के साथ 01 किग्रा0 गेंहू के भूसे का नमनू उपलब्ध कराना होगा।
8. निर्धारित समय तक प्राप्त निविदायें को उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनुके प्रतिनिधि के समक्ष क्रय समिति द्वारा सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जायेगी उसमे सफल होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
9. ई-टेण्डर खालेने के बाद दरो का निगोसियेशन किसी फर्म से नहीं किया जायेगा। आवश्यकता पडने पर केवल न्यूनतम दर वाली फर्म से निगोसियेशन किया जा सकता है।
10. क्रय समिति के लिए आवश्यक नहीं है कि वह न्यूनतम दरों पर क्रय स्वीकार करें। दरों पर निर्णय लेते समय समिति पूर्व अनुभव, गुणवत्ता, अथवा बाजार भाव आदि को संज्ञान में ले सकती है।
11. निविदाओं के माध्यम से प्राप्त हुयी न्यूनतम दरों पर क्रय समिति के द्वारा विचार करने के उपरान्त न्यूनतम दरें स्वीकृत की जायेगी।

12. भूसे की आपूर्ति पशु शिविरो/पशु आश्रय स्थलों एवं भूसा डिपो पर धर्मकाटों की तौल पर देना होगा।

13. सफल निविदादाता की जमानत धनराशि रू0 50,000.00 मात्र होगी जिसमे न्यूनतम निविदादाता द्वारा अनुबन्ध करते समय पृथक से रू0 40,000.00 मात्र का एफ0डी0आर0 बनवाकर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी बांदा के पक्ष में बन्धक रखनी होगी एवं रू0 100.00 के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर तीन दिन के अन्दर एग्रीमेंट करना होगा। न्यूनतम स्वीकृत टेण्डरदाता द्वारा निर्धारित अवधि में अनुबन्ध करने में असफल रहने की दशा में आपूर्ति में अनिच्छुक मानते हुये जमानत राशि जब्त करते हुये द्वितीय न्यूनतम दरदाता से न्यूनतम दरों पर अनुबन्ध हेतु विचार किया जा सकता है। अनुबन्ध पत्र का व्यय टेण्डरदाता द्वारा स्वयं किया जायेगा।

14. क्रय समिति को यह अधिकार होगा कि वह विना कारण बताये एक अथवा समस्त निविदायें निरस्त कर दें।

15. निविदादाता के स्वयं के हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसकी फर्म किसी राजकीय विभाग अथवा अन्य संस्था से काली सूची में नहीं डाली गयी है, जिन निविदादाताओं को उपरोक्त शर्त मान्य हो वही निविदादाता अर्नेस्ट मनी के साथ दरे प्रस्तुत करें, अन्यथा उसके अभाव में उनके द्वारा प्रस्तुत दरों पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित की गयी कोई भी शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी। सशर्त निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

16. निविदादाता को मूल रूप से भूसा व्यापारी होना चाहिये।

### आपूर्ति

1. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त तत्काल आपूर्तिकर्ता को सभी चयनित स्थलों पर क्रय आपूर्ति आदेश निर्गत करने की तिथि से 03 दिवस के अन्दर आपूर्ति करनी होगी।

2. क्रय अधिकारी को यह अधिकार होगा कि आपूर्ति समय से अथवा मानको के अनुसार न होने की दशा में जमा की गयी अरनेस्ट मनी जब्त कर ले तथा भविष्य के लिये फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया जायें।

3. किसी भी क्रय आदेश की पार्ट आपूर्ति नहीं ली जायेगी।

4. क्रय समिति की संस्तुति के आधार पर एक से अधिक आपूर्ति कर्ताओं द्वारा प्रस्तुत एक ही दर स्वीकृत होती है तो क्रय की जाने वाली सामग्री को बराबर मात्रा में आवंटित कर दिया जायेगा एक के मना करने पर आदेश दूसरे आपूर्तिकर्ता को कर दिया जायेगा।
5. अपरिहार्य कारणों से भूसे की मात्रा घटाई-बढ़ाई जा सकती है, जिसका पूर्ण अधिकार क्रय अधिकारी को होगा।
6. भूसा आपूर्ति के स्थल जनपद की चयनित न्याय पंचायत, भूसा डिपो हेतु तथा ग्राम पंचायत स्तर पर चयनित पशु शिविर/पशु आश्रय स्थलों में होंगे। स्थल में परिवर्तन व स्थलों की संख्या को घटाया व बढ़ाया जा सकता है।

#### गुणवत्ता

1. गेहूँ के भूसे की आपूर्ति प्राप्त करते समय पशु शिविरों/पशु आश्रय स्थलो एवं भूसा डिपो पर सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा गेहूँ के भूसे का परीक्षण किया जायेगा और यदि भूसा परीक्षण के समय अधोमानक प्रतीत हुआ तो भूसे को आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपने खर्च पर वापस लेना होगा।
2. गेहूँ के भूसे में किसी प्रकार के हानिकारक पदार्थ धूल बाहरी तत्व जैसे लोहे के टुकड़ें आदि नहीं होने चाहिए। भूसा उच्च कोटि/प्रथम श्रेणी गुणवत्ता का माल ही आपूर्तिकर्ता को देना होगा।

#### अन्य शर्तें

1. यदि आपूर्ति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो नियमानुसार पंच निर्णय के माध्यम से निपटारा हेतु सदर्भित किया जायेगा एवं उनके द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

उपरोक्त सभी शर्तें मुझे/हमें मान्य है तथा इन शर्तों को ध्यान में रखकर ही निविदा प्रस्तुत की जा रही है।

  
बुद्ध पशु चिकित्साधिकारी  
बाबा

निविदादाता का हस्ताक्षर.....

नाम.....

फर्म/कम्पनी की सील.....

पूरा पता.....